संख्या-230/2016/1608/22-2-2016-17(56)/2006

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊः दिनांक 17 नवम्बर, 2016***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र पुत्र श्री हीरा त्यागी, निवासी-जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34884/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक&12-09-2016 दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र पुत्र श्री हीरा त्यागी, निवासी ग्राम-वेरा फिरोजपुर, थाना-स्याना, जिला-बुलन्दशहर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मेड व चकरोड तोडने के विवाद को लेकर दिनांक 08/09.07.1997 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार, फरसा व कुल्हाडी से 04 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-914/1997 व 915/1997 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 302/149, 25/4 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 05-07-2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है, 01 सहअभियुक्त पैरोल अवधि से फरार तथा 02 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2016 तक 19 वर्ष 01 माह 22 दिन की अपरिहार एवं 24 वर्ष 06 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध सामूहिक अपराध की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की समाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी के कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी देवेन्द्र (बन्दी संख्या-5940) पुत्र श्री हीरा त्यागी, निवासी-जनपद-बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-230/2016/1608/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in